

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 14/प्र0310-मवन/जोन-1/प्रस्ता0/2014-15 दिनांक 18/10/2014

अनुमति-पत्र

वह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् वह अनुमति किसी के गिल्डियता या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती सविता अग्रवाल पत्नी डा0 दीपक अग्रवाल एवं श्री सक्षम अग्रवाल पुत्र डा0 दीपक अग्रवाल द्वारा नजूल शूखण्ड संख्या-5 लाजवर रोड, तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र की स्वीकृति/निर्माण उपाध्यक्ष मजदूम के अनुमोदनादेश दिनांक 17.10.2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तरिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के कर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
5. स्थल पर ऐन्वाटर हार्वैरिटिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. स्थल पर 03 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
7. मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं हैंडलिंग रूल्स 1998 अथवा अन्य प्रभावी नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा रागस-रागस पर नवीनीकरण भी कराया जाय।
8. नर्सिंग होम में संक्रामक रोग का इलाज निषिद्ध होगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र सं0-594/SICEM दिनांक 17.10.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
10. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-2014/इला0/410/सि0दि0/198 दिनांक 31.8.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
11. क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंडूरी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या- 00/716/B.M-13 /अनापत्ति प्रमाण-पत्र/2014 दिनांक 15.10.2014 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा तथा निरन्तर नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

नगरपालिका- इलाहाबाद

18/10/14

01376988090

Continued






12. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्थान होने की रिधति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होंगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद रजसग न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्त रित किया जा सकता है।
13. यदि आपेदक द्वारा कोई गहत्वपूर्ण सूचना छिपी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उधर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
14. भवन निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली ले किराी भाग (जो फलान के आश भाग, फुट पान अथवा उसले आकार के कारण डक गई हो) का हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शोध कया तौ पहले ही उसे अपने खर्चे से नरन्नात करकर पूर्ववत् अवस्था जिहसे विकास प्राधिकरण को समोध हो जाय, नै कर देगा।
15. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
16. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इम्पियरन इलेक्ट्रिशिटी करस 1965) नियम 82 का उल्लंघन किराी भी धशा नै न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मानले जाये गये तो वह ऐं. निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
17. आपेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की मीद तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूरा हो जाने की सूचना गधन आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस अक्षरी का नाम भी देना होगा जिसके निर्माण में मकान निर्मित हुआ है।
18. यदि निर्माण में म्स्टर प्ल न का उल्लंघन होवा प्राध ग्वा तौ निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रक समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपयुक्तानुसार।



(गुडाकेश शर्मा)
प्रणरी अधिकारी(उधर)-१

APPROVED
 IN PART BY STAFF CHIEF
 PROJECT OFFICER
 ALABAMA
 MODEL 6033-20020
 SWAPNAKAR
 1-100
 DATE
 SCALE
 DRAWN BY
 S.M. OF ARCHITECT
 CHANDREKHA
 PROJECT NO. 47/15
 C.O.A. Regd. No. 47/15



SWAPNAKAR
 ALABAMA
 PROPOSED BUILDING PLAN OF
 NURSING HOME ON PART OF HAZULI
 PLOT NO. 5, LANTHER ROAD,
 ALABAMA.




AREA SCHEDULE IN SQ.MT.	
1	TOTAL AREA OF PLOT (BASED ON 382.13 SQ.MT.)
2	ROAD WEEDING AREA 78.56 SQ.MT.
3	NET PLOT AREA 313.57 SQ.MT.
4	COVID BASEMENT PARKING 110.41 SQ.MT.
5	COVERED AREA OF GROUND F. 109.25 SQ.MT.
6	COVERED AREA OF FIRST F. 109.25 SQ.MT.
7	COVERED AREA OF SECOND F. 109.25 SQ.MT.
8	TOTAL COVERED AREA 327.75 SQ.MT.
9	OPEN AREA 233.92 SQ.MT.
10	MOUNTAIN AREA 19.56 SQ.MT.
11	PROPOSED GROUND COV. 34.88 %
12	PERMISSIBLE GROUND COV. 35 %
13	PERMISSIBLE F.A.R. 1.046
14	PROPOSED F.A.R. 1.20
15	REQUIRED PARKING 6 NOS.
16	PROPOSED PARKING 6 NOS.

OWNER: DR. SAVITA AGRAWAL
 S/O. DR. DEEPAK AGRAWAL
 SRI. SAKSHAM AGRAWAL
 S/O. DR. DEEPAK AGRAWAL
 DR. SAVITA AGRAWAL

REQUIRED PARKING: PROVIDED CAR PARKING = 7
 CALCULATION AREA INCLUDING BASEMENT
 COVID BASEMENT PARKING 110.41/22=5.02
 GROUND FLOOR PARKING AREA @ 23 SQ.MT./CAR
 PROVIDED GROUND FLOOR PARKING = 4 NOS.
 RAMP SLOPE 1:8

AREA SCHEDULE IN SQ.MT.
 COVERED AREA
 1 TOTAL AREA OF PLOT (BASED ON 382.13 SQ.MT.)
 2 ROAD WEEDING AREA 78.56 SQ.MT.
 3 NET PLOT AREA 313.57 SQ.MT.
 4 COVID BASEMENT PARKING 110.41 SQ.MT.
 5 COVERED AREA OF GROUND F. 109.25 SQ.MT.
 6 COVERED AREA OF FIRST F. 109.25 SQ.MT.
 7 COVERED AREA OF SECOND F. 109.25 SQ.MT.
 8 TOTAL COVERED AREA 327.75 SQ.MT.
 9 OPEN AREA 233.92 SQ.MT.
 10 MOUNTAIN AREA 19.56 SQ.MT.
 11 PROPOSED GROUND COV. 34.88 %
 12 PERMISSIBLE GROUND COV. 35 %
 13 PERMISSIBLE F.A.R. 1.046
 14 PROPOSED F.A.R. 1.20
 15 REQUIRED PARKING 6 NOS.
 16 PROPOSED PARKING 6 NOS.

SWAPNAKAR
 ALABAMA
 PROJECT OFFICER
 MODEL 6033-20020



SECTION AT A-B
 SCALE: 1/4" = 1'-0"

THIS TO BE CHECKED THAT THE PLAN IS
 ACCORDING TO LATEST REGULATIONS
 PROVIDED BY THE MUNICIPALITY

